न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2/2015 (डूंगरपुर आर्डर)

1. वासुदेव पिता पेम जी उपाध्याय, निवासी उपाध्याय होटल, बस स्टैण्ड के सामने, मुकाम मूल, तालुका मूल, जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)
2. विष्णु पिता पेमजी उपाध्याय, निवासी गायत्री भोजनालय, शेतलरी, मन्दिर रोड़, मुकाम वणी, तालुका वणी, जिला येवतमाल (महाराष्ट्र)
3. पुरूषोत्तम उपाध्याय मृतक के बजाय :–

3/1. श्रीमती विद्या वेबा पुरूषोत्तम उपाध्याय, निवासी उपाध्याय भोजनालय, मुकाम आलापल्ली, तहसील अहेरी, जिला गढ़चिरोली, (महाराष्ट्र)

3/2. हर्षद उपाध्याय पिता पुरूषोत्तम उपाध्याय,निवासी उपाध्याय भोजनालय, मुकाम आलापल्ली, तहसील अहेरी, जिला गढ़चिरोली, (महाराष्ट्र)

3/3. श्रीमती भाग्य श्री पुत्री पुरूषोत्तम उपाध्याय, निवासी उपाध्याय भोजनालय, मुकाम आलापल्ली, तहसील अहेरी, जिला गढ़चिरोली, (महाराष्ट्र)

4. श्रीमती चन्दा पत्नी डायालाल जी व्यास, निवासी अन्नपूर्णा भोजनालय, गांधी चौक, मराठी स्कूल के पीछे, मुकाम मूल, तालुका मूल, जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी विश्वनाथ पण्डया, निवासी गणेशपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती जशोदा पत्नी रमेश उपाध्याय, निवासी यशोधन भवन, चिकल गांव रोड़, मुकाम वणी, तालुका वणी, जिला येवतमाल (महाराष्ट्र)
3. मगनलाल पिता कलजी मीणा (अध्यापक), निवासी टाटिया, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. भूमिधारी तहसीलदार, आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 08–07–2015 प्र॰सं॰ 9/14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय दिनांक 28–06–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गणेशुपर में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 12 रकबा 6 बीघा 18 भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 से 5 के पिता पेम जी व विपक्षी संख्या 1 से 5 उक्त आराजियात पर कभी भी काबिज नहीं रहे तथा उक्त भूमि प्रार्थीया को दे दी। सन् 1965 से प्रार्थीया निरन्तर काबिज चली आ रही है, जिसे 50 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, जिससे एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वह भूमियां अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। श्रीमती भूरी बेवा पेमजी एवं पेमजी ने अपने जीवनकाल में कभी भी प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व पर उजरदारी नहीं की। पेमजी को फोत हुए लगभग वर्ष हो गये हैं एवं भूरी सन् 2005 में फोत हुई। विपक्षी संख्या 1 से 5 ने खसरा नंबर 2656 रकबा 3 बिस्वा का विक्रय करार विपक्षी संख्या 6 से किया है तथा विक्रय पत्र पंजीयन कराने की साजिश रच रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 6 सरकारी सेवा में होकर अध्यापक है। विधि अनुसार अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। विपक्षीगण षड़यंत्र कर प्रार्थीया की सम्पत्ति हड़पना चाहते हैं। अतएवं प्रार्थीया को विवादित भूमि से बेदखल नहीं करने एवं विक्रय नहीं करने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवायी जावे।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी संख्या 1 से 3 व 6 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 6 के खातेदारी की है, प्रार्थीया किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। विपक्षी संख्या 6 ने विपक्षी संख्या 1 से 5 से किसी प्रकार की भूमि क्रय नहीं की है, इसलिए अनुमति का सवाल ही

नहीं है। प्रार्थीया का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है, न ही उनका प्रतिकूल कब्जा प्रमाणित है। प्रार्थीया का किसी प्रकार से विपक्षी संख्या 1 से 5 से रक्त सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीया न तो खातेदार है न ही उसका कब्जा है इसलिए प्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का कोई आधार नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों की प्लीडिंग्स एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रकरण लोक अदालत कैम्प गणेशपुर में रखकर अपने निर्णय दिनांक 08–07–2015 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–07–2015 को पेश की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरीत है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने स्वयं घोषणा, कब्जेयाबी, इन्द्राज दुरस्ती व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जहां खातेदार के विरूद्ध कब्जेयाबी का वाद पेश किया वहां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का किसी भी सूरत में प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है, न ही प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कब्जा है। जब प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रथम दृष्टया स्वत्व ही नहीं बनता है, तो सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त में उसके पक्ष में नहीं माने जा सकते। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निराधार रूप से प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का

कब्जा मानकर उसके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड व अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण के सन्दर्भ में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट/विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रथम दृष्टया स्वत्य व कब्जा होने की कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्यटा प्रकरण प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में माना है, जो निसंदेह त्रुटि पूर्ण है। प्रतिकूल कब्जे बाबत् भी अधिनस्थ न्यायालय के सम्मुख कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जब प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रथम दृष्टया प्रकरण ही प्रमाणित नहीं है तो सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त रेकार्डेड खातेदार अपीलान्टगण के विरूद्ध प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का माने जाने का कोई आधार नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रेकार्ड के बरूऐ प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–07–2015 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर